भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

Entry 154

(123)

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका कमांक............../2016

निग-414-PBR-16

(49)

श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, पत्नी डॉ. वीरेन्द्र श्रीवास्तव
आयु– 40 वर्ष, निवासी–म.न. 64 अमलतास, फेस–1
चूनाभट्टी भोपाल (म.प्र.) -------- **आवेदिका /पुनरीक्षणकर्ता**

विरूद्ध

श्री इन्दर कुमार गोधानी आत्मज श्री भगवान दास गौधानी
आयु– 60 वर्ष, निवासी – 24, मो. मस्जिद,
जहांगीराबाद, भोपाल (म0प्र0) -------- **अनावेदक/उत्तरदाता**

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959

आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनावेदक/उत्तरदाता द्वारा धारा–129 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 के तहत सीमांकन प्रकरण कमांक–19/अ–12/14–15 में स्वीकृत आदेश दिनांक 26/10/2015 से दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखत तथ्यों एवं वैद्यानिक आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है:–

आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त उल्लेखित पते पर निवासरत हैं तथा आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 214 रकबा–0.880 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम–बोरदा, पटवारी हल्का नम्बर 29, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म0प्र0) में स्थित हैं जिसकी पुष्टि आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता के नाम के वर्तमान खसरा नकल से होती हैं।

2. यह कि, अनावदेक/उत्तरदाता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 216 रकबा–0.560 हेक्टेयर अर्थात 1.40 एकड़ भूमि स्थित ग्राम–बोरदा, पटवारी हल्का नम्बर 29, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म0प्र0) में स्थित हैं। इस प्रकार अनावेदक/उत्तरदाता के स्वामित्व की भूमि में से 0.20 एकड भूमि रोड के चौडीकरण में गई हुई हैं जो कि गूगल मेप एवं सेटेलाईट मेप में स्पष्ट रूप से दिखती हैं, किन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में अनावेदक/उत्तरदाता के नाम 1.40 एकड़ भूमि दर्ज होने से मौके पर रोड के चौडीकरण में गई 0.20 एकड भूमि को आज दिनांक तक समायोजित नहीं किया गया हैं जिसका अनुचित लाभ अनावेदक/उत्तरदाता द्वारा लिया जा रहा हैं।

3. यह कि, अनावेदक/उत्तरदाता द्वारा राजस्व निरीक्षक के साथ मिलकर दिनांक 16.10.2015 को

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-414-PBR/16 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	